न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 117/2014 (धारा 75 भू राज अधि0 1956) (RCMS No.2014/00028)

1. नबाबसिंह पुत्र कल्यान सिंह (मृतक)
   - 1/1 सत्यप्रकाश
   - 1/2 परसराम
   - 1/3 बलराम

   } पिसरान स्व0 नबाबसिंह
   - 1/4 जनक दुलारी पत्नी स्व0 नबाबसिंह
2. नन्दू
3. तलेवर } पुत्रान कल्यानसिंह
4. अमरसिंह
5. धर्मसिंह } पुत्रान भावसिंह
6. ईश्वरवती पत्नी विडला
7. राजवीर
8. चन्द्रवीर
9. राजेन्द्र } पुत्रान श्यामसिंह
10. लाखनसिंह
11. बृजभानसिंह } पुत्रान लालारमा

} जातियान जाट निवासी ग्राम सूती तहसील व जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर मु0नं0 73/03 नबाबसिंह बनाम सरकार दिनांक 01.07.2003 (136 एल आर एक्ट)

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपस्थितिः–

नरेन्द्रपाल सिंह वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 27.08.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 01.07.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट नबाबसिंह वगैराह के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट तहत अदालत के समक्ष वास्ते रकबा पूर्ति किये जाने हेतु पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट मंगाई गई। तहसीलदार भरतपुर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को पत्र दिनांक 30.07.2002 के द्वारा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक से प्राप्त मौका

27.8.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिनांक 1.7.2003

व जॉच रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई गई। दौराने सुनवाई अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से सैटलमेंट के पूर्व रिकार्ड के अनुसार हाल रिकार्ड में दुरूस्ती करने बाबत सहमति जाहिर करते हुये आदेशिका पर प्रभावित पक्षकार की ओर से अनापत्ति दर्ज कर हस्ताक्षर किये गये। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने आदेश दिनांक 01.07.2003 इस आशय का पारित किया कि ....''अप्रार्थी के हाल खसरा नंबर 664 से .10 ऐयर रकबा व 665 से 15 ऐयर रकबा, 663 से .10 ऐयर रकबा कम करके प्रार्थीयान के हाल खसरा नमबर 690/.41 ऐयर में कुल .35 ऐयर रकबा जोडकर हाल खसरा नमबर 690 का रकबा .76 ऐयर ग्राम सूती तहसील भरतुपर में किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। ....'' उपखण्डाधिकारी भरतपुर के उपरोक्त आदेश दिनांक 01.07.2003 के विरूद्ध यह अपील अपीलान्टस की ओर से अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2003 अपीलान्टस की ओर से अदालत मातहत में 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार पारित नहीं किया गया है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्टस की खातेदारी में सैटलमेंट के दौरान कम दर्ज हुये रकबे को दुरूस्त करने का आदेश तो पारित कर दिया है, परन्तु दुरूस्ती के अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश नहीं दिया गया है। इसलिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2003 के कम में नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु उक्त अपील पेश की गई है। अपीलान्टस की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि भू प्रबंध संबंधी कार्यवाही के दौरान अपीलान्टस की खातेदारी में दर्ज भूमि को सैटलमेंट विभाग द्वारा कम कर अन्य खसरा नंबरान में जोड दिया गया है। इसलिये कमी रकबा की पूर्ति की जाकर मुताबिक कब्जा मौका कागजात पटवार में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावें। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 01.07.2003 के द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलान्टस की खातेदारी में दर्ज किये गये रकबे की नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु अपीलान्टस द्वारा दिनांक 19.07.2014 को पटवारी हल्का से सम्पर्क किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा यह कहे जाने पर कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2003 में नक्शे में तरमीम किये जाने के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। इसलिये उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश की अपील अदालत हाजा में कर नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश होने के बाद भी नक्शे में तरमीम की जा सकती है। जिस पर अपीलान्टस की ओर से अपीलाधीन निर्णय की

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.8.2014
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नकल प्राप्त करने के बाद अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्टस अन्दर मियाद शुमार करते हुये स्वीकार की जावे तथा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 01.07.2003 जिसके द्वारा अपीलान्टस की खातेदारी में स्थित खसरा नंबर 690 का रकबा 76 एयर किया गया है, की नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्टस की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 01.07.2003 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 19.09.2014 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु को तय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत मीमो आफ अपील में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.07.2014 को होने का उल्लेख खाली स्थान की पूर्ति करते हुये पैन से अंकित की गई है। इसके अलावा मीमो आफ अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का से जानकारी होने की दिनांक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही शपथ पत्र में ही इस बिन्दु का उल्लेख है। अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2003 के विरूद्ध लगभग 11 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश की गई है। जबकि विलम्ब से अपील पेश किये जाने की स्थिति में जिस निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की जा रही है। उस निर्णय की जानकारी होने की दिनांक व स्रोत का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार विलम्ब के प्रत्येक दिन का पर्याप्त व उचित कारण बताया जाना आवश्यक है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने की दिनांक का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में बिना किसी पर्याप्त व उचित कारण के विलम्ब से पेश की गई अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि 2012 आर.बी.जे. पेज 113, 2023 (1) आर.आर.टी. पेज 231, 2022–23 (SUPP) आर.आर.टी. पेज 487 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मियाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना अपील काम्पीटेन्ट नहीं है। इसी प्रकार 2015 (1) आर.आर.टी. पेज 232 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मियाद संबंधी प्रावधान केवल औपचारिकता नहीं है। अपील पेश करने में हुये विलम्ब का पर्याप्त व उचित कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। 2010 आर.बी.जे. पेज 289, 2014 (1) आर.आर.टी. पेज 154, 2007 आर.बी.जे. पेज 438, 2016 आर.बी.जे. पेज 226, 2024 (1) आर. आर.टी. पेज 653 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विलम्ब से प्रस्तुत की गई अपील में मियाद के संबंध में पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताये जाने पर ऐसी अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किया जायेगा। इसलिये

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.8.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपरोक्त नजीरों में वर्णित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्टस की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 01.07.2003 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय भरतपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 73/03 के अप्रार्थीगण संख्या 11 उदयप्रताप की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2003 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 18.02.2005 को अपील पेश की गई है, जो कि अपील संख्या 123/05 उनवानी उदयप्रताप बनाम नबाव सिंह के नाम से दर्ज है, में नबाव सिंह जो कि हस्तगत अपील के अपीलान्ट हैं, को रैस्पोडेन्ट संख्या 1 बनाया गया है। अपील संख्या 123/05 में रैस्पोडेन्ट नबाव सिंह की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा दिनांक 13.05.2005 को वकालतनामा प्रस्तुत किया जा चुका है तथा इसके बाद में भी नियत पेशी पर नबाव सिंह की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित होते रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट नबाव सिंह का यह कथन कि उन्हें उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2003 के बारे में पूर्व में जानकारी नहीं थी। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में गलत हो जाता है। अदालत हाजा में दर्ज अपील संख्या 123/05 को निर्णय दिनांक 27.08.2024 के द्वारा स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2003 को निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार भरतपुर से स्पष्ट मौका जॉच रिपोर्ट अभिशंषा सहित प्राप्त करने व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रकरण का परीक्षण कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। इसलिये उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलान्ट के द्वारा हस्तगत अपील में चाहा गया अनुतोष अदालत हाजा की ओर से नहीं दिया जा सकता है। इस आधार पर भी अपील अपीलान्टस खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस खारिज की जाकर अपीलान्टस को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अदालत हाजा की ओर से अपील संख्या 123/05 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2024 के परिप्रेक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★